न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –63/2020 (अपील)

GCMS No. 2020/00218

श्रीमति रेखा मीणा पत्नि हेमराज मीणा जाति मीणा निवासी अजय आहूजा नगर कोटा उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 770 खाई रोड शोप नं017279 अजय आहूजा नगर कोटा (राज.)

–अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर कोटा

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम बाबत लाईसेंस बहाल करने उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 770 रंगबाडी रोड शोप नं0 17279 अजय आहूजा नगर कोटा के मामले में माननीय जिला रसद अधिकारी का एक तरफा आदेश विभागीय प्रकरण संख्या 37/2019 दिनांक 30.6.2019 को निरस्त कर लाईसेंस बहाल करने के कम में ।

निर्णय

उपस्थितः–

1. **श्री आबिद हुंसेन अब्बाशी, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक**

दिनांक– .04.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 37/2019 आदेश दिनांक 30.6.2019 से अन्य प्राधिकार पत्रों के साथ अपीलांट श्री श्रीमति रेखा मीणा पत्नि श्री हेमराज मीणा जाति मीणा निवासी अजय आहुजा नगर कोटा उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 770 खाई रोड शोप नं0 17279 अजय आहुजा नगर कोटा का लाईसेंस निरस्त किया गया है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.01.2020 को पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट फेयर प्राईज शोप नम्बर 770 पोस कोड 17279 अजय आहूजा नगर कोटा पर संचालित रही है जो अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ईमानदारी मेहनत लगन एवं आम जनता की सन्तुष्ठी रखते हुये दुकान विधि अनुसार संचालित की गई एवं अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ईमानदारी विधि नियम से दुकान का संचालन किया और लगातार करता रहा एवं ग्राहक सन्तुष्ठ रहे । अपीलान्ट को उक्त दुकान संख्या 770 दिनांक 11.4.2012 को आवंटित हुई थी

जिला कलेक्टर
कोटा

अपीलान्ट के विरूद्व आज दिनांक तक भी किसी भी उपभोक्ता ने निजी तौर पर वितरण अव्यवस्था की शिकायत नहीं की है । मात्र राजनैतिक रंजिशवश ब्लेकमेल की गरज से झूंठी एवं मनगढंत शिकायत की गई थी उक्त शिकायत मामले में तत्कालिक जिला रसद अधिकारी द्वारा 68 डीलरों के खिलाफ जांच रिपोर्ट की किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत 30 डीलर के नाम हटाकर 38 डीलरों की सूची जिला रसद अधिकारी को दी गई उनमें से भी मात्र 12 डीलरों के खिलाफ 18.7.2019 को बिना डीलर के स्पष्टीकरण एवं सुनवाई का अधिकार दिये बगैर एफ आई आर दर्ज करवाई गई । अपीलान्ट व अन्य लोगों के विरूद्व पोस सोफ्टवेयर अनियमितता का आरोप है जो एक खाद्य विभाग जयपुर का प्रोग्राम है एक आधार ट्रान्जेक्सन पोश मशीन सोफ्टवेयर में दुकानदार द्वारा गडबडी किया जाना संभव नहीं है । अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना दिये जाने पर जब अपीलान्ट ने अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थिति दी तो अपीलान्ट की कोई सुनवाई नहीं हुई और अपीलान्ट के विरूद्व आवश्यक पदार्थ वितरण विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11,14,15,17 (ख)(ग) एवं 18 का उल्लंघन मानकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.6.2020 को दुकान निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया जबकि संबंधित राशन कार्ड यदि कोई जाली भी रहे हो तो वह ई मित्र द्वारा बनवाये गये थे उससे अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं था और उपभोक्ताओं द्वारा चाहने पर विधि अनुसार एन्ट्री करके सामग्री वितरण की गई थी इसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं है । माननीय अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा जब उक्त प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं की और प्रथम सूचना रिपोर्ट को आधार बनाने का प्रयास किया तो अपीलान्ट इस मामले में माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट आवेदन लेकर गई जो एसबी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 10262/2020 उनवान श्रीमति रेखा मीणा बनाम स्टेट वगै0 के नाम से दर्ज हुई जसमें दिनांक 11.9.2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय अधिनस्थ आदेशों को स्थगन करते हुये अग्रिम कार्यवाही की । सामान्य अनुक्रम विधि नियम के तहत प्राधिकार निलंबन 90 दिन से अधिक संभव नहीं है । अपीलान्ट ने किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता , दुराचार, गबन, वगैराह नहीं किया है उसके बाद पूर्ण रूप से रिकार्ड तेयार है । यदि किसी उपभोक्ता द्वारा गलत राशन कार्ड बनाकर या माननीय सरकार द्वारा खारिज राशन कार्डो के तथ्यों को छुपाकर किसी प्रकार कोई वितरण प्राप्त किया है तो इसके लिये अपीलान्ट दोषी नहीं है, अपीलान्ट की गलती बोनाफाइड एवं क्षम्य है । अपीलान्ट अनुसूचित जन जाति की महिला है उसके उपर पूरे परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी है यदि उक्त दुकान का रद्द लाईसेंस आदेश निरस्त कर पुनः अपीलान्ट की दुकान बहाल नहीं की गई तो अपीलान्ट व उसके परिजनों के समक्ष भूखे मरने की नोबत आ जायेगी । अपीलांट की उक्त दुकान के विरूद्व एफ आई आर व अन्य कार्यवाही की जानकारी दिनांक 23.10.2020 को मिली जिसकी नकल दिनांक 4.11.2020 को प्राप्त होने पर अपील निर्धारित समयावधि में अपील पेश है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । राजकीय अभिभाषक व वकील अपीलांट उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ईमानदारी मेहनत लगन एवं आम जनता की सन्तुष्ठी रखते हुये दुकान विधि अनुसार संचालित की गई एवं अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ईमानदारी विधि नियम से दुकान का संचालन किया और लगातार करता रहा एवं ग्राहक सन्तुष्ठ रहे । अपीलान्ट के विरूद्व आज दिनांक तक भी किसी भी उपभोक्ता ने निजी तौर पर वितरण अव्यवस्था की शिकायत नहीं की है । मात्र राजनैतिक रंजिशवश ब्लेकमेल की गरज से झूंठी एवं मनगढंत शिकायत की गई थी अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना मिलने पर जब अपीलान्ट ने अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थिति दी तो अपीलान्ट की कोई सुनवाई नहीं हुई और अपीलान्ट के विरूद्व आवश्यक पदार्थ वितरण विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11,14,15,17 (ख)(ग) एवं 18 का उल्लंघन मानकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.6.2020 को दुकान निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया जबकि संबंधित राशन कार्ड यदि कोई जाली भी रहे हो तो वह ई मित्र द्वारा बनवाये गये थे उससे अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं था और उपभोक्ताओं द्वारा चाहने पर विधि अनुसार एन्ट्री करके सामग्री वितरण की गई थी इसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं है । माननीय अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा जब उक्त प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं की और प्रथम सूचना रिपोर्ट को आधार बनाने का प्रयास किया तो अपीलान्ट इस मामले में माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट आवेदन लेकर गई जो एसबी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 10262/2020 उनवान श्रीमति रेखा मीणा बनाम स्टेट वगै0 के नाम से दर्ज हुई जसमें दिनांक 11.9.2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय अधिनस्थ आदेशों को स्थगन करते हुये अग्रिम कार्यवाही की ।

5. पेरोकार रसद व राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि कोटा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु आवंटित सामग्री के वितरण में अन्य उचित मूल्य दुकानदारों के साथ साथ रूचि नहीं होने एवं अन्य विभिन्न कारणों से उचित मूल्य दुकान का संचालन नहीं करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों को दिनांक 10.2.2018 को प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20.2.2018 तक कार्यालय में उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया था । समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बावजूद भी अपीलान्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं नहीं हुए । उचित मूल्य दुकानदारों की अनुपस्थिति को लापरवाही मानकर एवं उचित मूल्य दुकान चलाने में रूचि नहीं होने के कारण राजस्थन खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत अपीलान्ट की समस्त जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर राजस्थन खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार निरस्त किया गया है । अपीलान्ट स्वयं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित सामग्री के वितरण में अनिच्छा प्रकट की जाने से अपीलान्ट का प्राधिकार निरस्त किया गया था ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र संख्या दुकान संख्या 770 पोस कोड 17279 अजय आहूजा नगर कोटा राजस्थान खाद्यान्न एवं

जिला कलेक्टर
कोटा

अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11,14,15,17, (ख)(ग) एवं 18 का उज्जंघन किया जाना पाये जाने के कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था । चूंकि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 18.7.2019 की कार्यवाही स्थगित कि जा चुका है । उभयपक्ष को सुनने पश्चात हम यह पाते है कि अपीलांट यदि पूर्व में उनको आवंटित उचित मूल्य दुकान संख्या 770/2012 पोस कोड 17279 अजय आहूजा नगर कोटा को विधि अनुसार राज्यादेशों के अनुरूप संचालित करना चाहता है यदि अपीलांट नियमों की पालना हेतु पात्र होने एवं उक्त दुकान का आवंटन अन्य को नहीं किया गया हो तो अपीलान्ट की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल कर अपीलांट को दुकान पुनः आवंटन हेतु जांच कर कार्यवाही हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के उचित मूल्य दुकान संख्या 770/2012 पोस कोड 17279 पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलांट राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं शर्तो के तहत कार्य करने हेतु पात्रता रखता हो तथा अपीलांट की निरस्त की गई उचित मूल्य दुकान अन्य किसी को आवंटन नहीं की गई हो एवं रिक्त होने की स्थिति में सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर विधि सम्मत आदेश पारित करें । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा **को** तलविदा रेकार्ड के साथ पालनार्थ भेजी जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 20 .04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा